

F. No. II-18015/34/2013-NM III  
Government of India  
Ministry of Home Affairs  
(Naxal Management Division)

North Block, New Delhi  
Dated the 28<sup>th</sup> June, 2013

To,

Shri Ishwar Chandra Sharma  
207, Second Floor, Prakashdeep Building  
Dr. Subhash Bhargav Lane  
22/4735, Ansari Road  
Dariyaganj  
Delhi – 110 002.

**Sub: Information sought under the RTI Act, 2005 vide your application dated 8<sup>th</sup> June, 2013.**

Please refer to this Ministry's O.M. No. A-43020/01/2013-RTI dated 19<sup>th</sup> June, 2013 in connection with your online application dated 22.5.2013 under the RTI Act, 2005.

2. In this regard, the available information with the undersigned may be treated as nil. However, a copy of your application is forwarded to other CPIOs of this Ministry for providing the necessary information to you directly.

3. Appeal u/s 19(1) of the Act, if any, is to be made within 30 days of receipt of this communication and the same in respect of this information lies with Shri M.A. Ganapathy, Joint Secretary, Naxal Management Division, Room No. 193-A/1, North Block, New Delhi – 110 001.



(Shantanu)  
Director & CPIO

**Copy to:-**

1. Shri Daljit Singh Chawdhary, Dir (ANO-I) & CPIO, MHA, North Block along with a copy of the application for providing the available information directly to the applicant.
2. Shri Dinesh Mahur, Dir (Pers) & CPIO, MHA, North Block along with a copy of the application for providing the available information directly to the applicant.
3. Shri S. Samanta, US (RTI), MHA, North Block for information w.r.t. O.M. No. A-43020/01/2013-RTI dated 19<sup>th</sup> June, 2013.

फा.सं.॥- 18015/34/2013 एन एम-॥॥

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
(नक्सल प्रबंधन प्रभाग)

\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक : 28 जून, 2013


सेवा में,

श्री ईश्वर चन्द्र शर्मा,  
207, द्वितीय तल, प्रकाशदीप भवन,  
डॉ. सुभाष भार्गव लेन,  
22/4735 अंसारी रोड,  
दरियागंज  
दिल्ली -110002

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके दिनांक 08 जून, 2013 के आवेदन के तहत मांगी गई सूचना।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किए गए अपने दिनांक 22.5.2013 के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 19 जून, 2013 के का. जा. सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई का संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध सूचना 'शून्य' समझी जाए। तथापि आपके आवेदन की एक प्रति इस मंत्रालय के अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों को अग्रेषित की जा रही है ताकि आवश्यक सूचना सीधे आपको मुहैया करवाई जा सके।
3. उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील, यदि कोई हो, इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर की जानी होती है तथा इस सूचना के संबंध में यह अपील श्री एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव, नक्सल प्रबंधन प्रभाग, कक्ष सं. 193-ए/1, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को की जा सकती है।

  
(शान्तनु)

निदेशक एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. श्री दलजीत सिंह चौधरी, निदेशक (ए एन ओ-१) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को आवेदन की एक प्रति सहित ताकि उपलब्ध सूचना सीधे आवेदक को मुहैया करवाई जा सके।
2. श्री दिनेश माहुर, निदेशक (पर्स) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को आवेदन की एक प्रति सहित ताकि उपलब्ध सूचना सीधे आवेदक को मुहैया कराई जा सके।
3. श्री एस. सामंत, अवर सचिव (आर टी आई), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को दिनांक 19 जून, 2013 के का. जा. सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में।



4042/RTI/2013  
19/6/13


## Ishwar Chandra Sharma

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन

सेवा में

8 जून, 2013

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी  
गृह मंत्रालय,  
नार्थ ब्लॉक,  
नई दिल्ली- 110 001



1. आवेदक का नाम: ईश्वर चन्द्र शर्मा

2. आवेदक का पता: 207, दूसरी मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग,  
डॉ सुभाष भार्गव लेन,  
22 / 4735, अंसारी रोड,  
दरियागंज, दिल्ली 110002

3. सूचना का विषय जिस पर सूचना चाहिए ; नक्सलवाद क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सुरक्षा बलों के जवान एवं अधिकारियों की मृत्यु।

वह अवधि जिसके लिए सूचना मांगी गई: वर्तमान

चाही गई सूचना का विस्तृत विवरण :

- (1) पिछले पांच वर्षों में नक्सलवादियों द्वारा या नक्सलवादी दुर्घटना में केन्द्रीय सुरक्षा बलों के कुल कितने जवानों/अधिकारियों की मृत्यु हुई? कृपया अलग-अलग बलों का विवरण अलग-अलग सूचित करने का कष्ट करें।
- (2) नक्सलवादियों द्वारा या नक्सलवादी दुर्घटना में मारे गये/घायल हुए केन्द्रीय सुरक्षा बलों के जवानों/अधिकारियों के परिवारजनों को किस-किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई? कृपया मारे गए प्रत्येक जवान / अधिकारी का पूरा विवरण सूचित करने का कष्ट करें।
- (3) नक्सलवादियों द्वारा या नक्सलवादी दुर्घटना में मारे गए जवानों/अधिकारियों के आश्रितों को सरकार ने क्या कोई रोजगार उपलब्ध कराया है? यदि हाँ तो कितने व्यक्तियों को तथा जो भी रोजगार उपलब्ध कराया गया है, कृपया उसका विवरण देने का कष्ट करें।

RTI  
Din (NM)

- (4) नक्शालवाद पीडित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों/ पुलिस के जवानों/ अधिकारियों की गश्त के दौरान, नक्शालियों द्वारा बिछाई गई माइन इत्यादि से, दुर्घटना में मृत्यु न हो इसके लिए सरकार ने क्या बन्दोवस्त किए हैं?
- (5) नक्शालवाद पीडित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों/ पुलिस के जवानों/ अधिकारियों की मृत्यु पर क्या सरकार ने कभी संसद में कोई प्रस्ताव पास किया है? यदि हाँ तो कब और किस प्रकार का प्रस्ताव पास किया गया, कृपया विवरण देने का कष्ट करें ।

4. यदि शुल्क का भुगतान किया गया है

(1) आवेदन का शुल्क ₹0 10 का पोस्टल आर्डर संख्या: 11F 093204 dated 30/05/2013

(2) रिकार्ड के निरीक्षण हेतु : कुछ नहीं

(3) दस्तावेजों की छायाप्रति हेतु : कुछ नहीं

5. यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से सम्बन्धित है , जिसको कि शुल्क नहीं देना है : नहीं

6. आवेदक द्वारा घोषणा

(1) मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का वास्तविक मूल नागरिक हूँ । मैं भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति निष्ठावान हूँ और मैंने दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से हांसिल नहीं की है ।

(2) यदि आवेदन में कुछ अन्य सरकारी अधिकारियों से सम्बन्धि मामले पाए जाते हैं, तो इस स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत, कृपया, सूचना का अधिकार आवेदन सम्बन्धित जन सूचना अधिकारी के पास आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित कर दिया जाय ।

ईश्वर चन्द्र शर्मा

( ईश्वर चन्द्र शर्मा )

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 8 जून, 2013